छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) पिन– 492001
फोन नंबर :– 0771 – 4918927
Email - office.rera.cg@gov.in, website- https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक : 43 / रेरा / 2020 / 548A रायपुर, दिनाँक 14 / 05 / 2020

/ / परिपत्र / /

केन्द्र सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरंडम क्रमांक O-17024/230/2018-Housing-UD/EFS-9056405 दिनाँक 13.05.2020 के माध्यम से ऐसे समस्त रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जिनकी पूर्णता दिनाँक 25 मार्च, 2020 या उसके उपरांत है, की पंजीयन अवधि में 6 माह का विस्तार करने का लेख किया गया है। अतः छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त मेमोरंडम के परिपालन में निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते है :–

1. ऐसे समस्त रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जिनकी पूर्णता दिनाँक 25 मार्च, 2020 या उसके उपरांत है, की पंजीयन अवधि में 6 माह का विस्तार किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा ऐसे समस्त रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हेतु पृथक से नवीन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किये जावेंगे।

2. प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 40 / रेरा / 2020 / 520 दिनाँक 20.04.2020 के माध्यम से त्रैमासिक अद्यतन हेतु पंजीकृत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक की त्रैमासिक अवधि हेतु निर्धारित तिथि एक माह आगे बढाकर दिनाँक 31 मई, 2020 नियत की गई थी। प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक की त्रैमासिक अवधि हेतु निर्धारित तिथि में 6 माह आगे बढाकर दिनाँक 31 अक्टूबर, 2020 नियत की जाती है। अप्रैल 2020 से जून 2020 तक की त्रैमासिक अवधि हेतु भी त्रैमासिक अद्यतन की तिथि 31 अक्टूबर, 2020 की जाती है।

(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. अनुप्रिया मिश्रा)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर